फरीदाबाद
मजदूर समाचार
राहें तलाशने–बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान–प्रदान के जरियों में एक जरिया
नई सीरीज नम्बर 179 मई 2003

परिवार का आकार सिकुड़ता जा रहा है और परिवार के भरण- पोषण के लिये काम करने वाले परिवार के सदस्यों की सँख्या बढती जा रही है।

आप-हम क्या-क्या करते हैं... (4)

अपने स्वयं की चर्चायें कम की जाती हैं। खुद की जो बातें की जाती हैं वो भी अक्सर हाँकने- फाँकने वाली होती हैं, स्वयं को इक्कीस और अपने जैसों को उन्नीस दिखाने वाली होती हैं। या फिर, अपने बारे में हम उन बातों को करते हैं जो हमें जीवन में घटनायें लगती हैं — जब- तब हुई अथवा होने वाली बातें। अपने खुद के सामान्य दैनिक जीवन की चर्चायें बहुत- ही कम की जाती हैं। ऐसा क्यों है? ✶ सहज- सामान्य को ओझल करना और असामान्य को उभारना ऊँच- नीच वाली समाज व्यवस्थाओं के आधार- स्तम्भों में लगता है। घटनायें और घटनाओं की रचना सिर- माथों पर बैठों की जीवनक्रिया है। विगत में भाण्ड- भाट- चारण- कलाकार लोग प्रभुओं के माफिक रंग- रोगन से सामान्य को असामान्य प्रस्तुत करते थे। छुटपुट घटनाओं को महाघटनाओं में बदल कर अमर कृतियों के स्वप्न देखे जाते थे। आज घटना- उद्योग के इर्दगिर्द विभिन्न कोटियों के विशेषज्ञों की कतारें लगी हैं। सिर- माथों वाले पिरामिडों के ताने- बाने का प्रभाव है और यह एक कारण है कि हम स्वयं के बारे में भी घटना- रूपी बातें करते हैं। ✶ बातों के सतही, छिछली होने का कारण ऊँच- नीच वाली समाज व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति गौण होना लगता है। वर्तमान समाज में व्यक्ति इस कदर गौण हो गई है कि व्यक्ति का होना अथवा नहीं होना बराबर जैसा लगने लगा है। खुद को तीसमारखाँ प्रस्तुत करने, दूसरे को उन्नीस दिखाने की महामारी का यह एक कारण लगता है। ✶ और, अपना सामान्य दैनिक जीवन हमें आमतौर पर इतना नीरस लगता है कि इसकी चर्चा स्वयं को ही अरुचिकर लगती है। सुनने वालों के लिये अक्सर "नया कुछ" नहीं होता इन बातों में। ✶ हमें लगता है कि अपने- अपने सामान्य दैनिक जीवन को "अनदेखा करने की आदत" के पार जा कर हम देखना शुरू करेंगे तो बोझिल- उबाऊ- नीरस के दर्शन तो हमें होंगे ही, लेकिन यह ऊँच- नीच के स्तम्भों के रंग- रोगन को भी नोच देगा। तथा, अपने सामान्य दैनिक जीवन की चर्चा और अन्यों के सामान्य दैनिक जीवन की बातें सुनना सिर- माथों से बने स्तम्भों को डगमगा कर देंगे। ✶ कपड़े बदलने के क्षणों में भी हमारे मन- मस्तिष्क में अक्सर कितना- कुछ होता है! लेकिन यहाँ हम बहुत- ही खुरदरे ढँग से आरम्भ कर पा रहे हैं। मित्रों के सामान्य दैनिक जीवन की झलक जारी हैं।

✶50 **वर्षीय बिजली बोर्ड कर्मचारी:** शिफ्टों में ड्युटी है। इस समय रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक की ड्युटी है लेकिन 9 बजे तक ही छूट पाता हूँ क्योंकि सुबह- सुबह लाइन पर लोड पड़ता है और कोई- न- कोई फाल्ट आ जाती है। हर शिफ्ट में स्टाफ कम है। पूरे आदमी हो नहीं पाते, मिल कर करना पड़ता है— इसलिये देरी से छूटते हैं।

थका होता हूँ इसलिये घर पहुँचने पर किसी चीज को मन नहीं करता। शारिरिक थकान तो इस आयु में स्वाभाविक है पर इधर तो दिमागी थकान ज्यादा होती है।

आजकल परिवार साथ है इसलिये अब घर आने पर चाय मिल जाती है। चाय पीने के बाद एक- दो घण्टा आराम करता हूँ। फिर नहा- खा कर एक बजे के करीब सो जाता हूँ।

बेशक मन नहीं करता पर 3- 4 बजे उठना ही पड़ता है। कभी घर का शोर, कभी बाहर का शोर— नींद तो पूरी होती ही नहीं। इस कारण भी दिल- दिमाग दोनों अशान्त रहते हैं।

उठने के बाद कभी सब्जी ले आता हूँ तो कभी घर का अन्य सामान। इधर- उधर निकल गया 6 बजे तो लौटने में 8 तो बज ही जाते हैं। रात 8 बजे से ड्युटी की चिन्ता लग जाती है। रोटी तो आजकल बनी मिलती हैं इसलिये बनाने का अतिरिक्त झँझट नहीं है। लेकिन कभी कुछ तो कभी कुछ लगा ही रहता है— कभी अपनी तबीयत खराब हो गई, कभी बच्चों की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास जाना है। मौसम के लिहाज से कुछ न कुछ होता ही रहता है। जिस दिन इनमें समय देना पड़ता है उस दिन सब चीजों में कटौती करनी पड़ती है, आराम नहीं मिलता।

समय की पाबन्दी है। लाइन का कोई काम आयेगा तो जाना पड़ता है अन्यथा शिकायत केन्द्र पर हर समय उपस्थित रहना। ब्रेक डाउन होते ही अफसरों को सूचना देनी पड़ती है।

गर्मियों में रात में ज्यादा ब्रेक डाउन होते हैं। आँधी- तूफान तो होते ही हैं, लोड भी ज्यादा होता है। रात एक- दो बजे भी जनता पहुँच जाती है। और यह तो जनता सहयोग देती है अन्यथा स्टाफ इतना कम है कि हम काम कर ही नहीं पायें।

सर्दियों में ब्रेक डाउन कम होते हैं लेकिन जब होते हैं तब ढूँढना मुश्किल होता है। धुन्ध से अतिरिक्त परेशानी होती है— दस मिनट का काम भी आधा घण्टे से ज्यादा ले लेता है और कभी- कभी तो रात- भर फाल्ट मिलता ही नहीं।

बरसात में ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं। केबल फुँक जाते हैं। पेड़ गिर जाते हैं, तारें टूट जाती हैं। एक्सीडेन्ट का ज्यादा ही खतरा रहता है।

ज्यादातर वरकर व्यस्त रहते हैं। चर्चायें कम होती हैं— चर्चायें तो तब हों जब लोग खुश हों।

जब परिवार साथ नहीं होता तब रात शिफ्ट में जीवन बहुत- ही कठिन हो जाता है। सुबह आ कर सबसे पहले सफाई अभियान: झाड़ू, बर्तन, कपड़ा। पानी भरना। चाय दुकान पर पी कर आता हूँ।

सफाई के बाद खाना बनाने की तैयारी। रोटी के साथ कभी सब्जी बना ली तो कभी दुकान से दही ले आया। कभी खिचड़ी बना ली। इस सब में एक- डेढ बज जाते हैं। फिर एक- दो घण्टे आराम। उठ कर बर्तन साफ करना, सब्जी लाना। कभी साइकिल खराब है, कभी तबीयत खराब। इन्हीं चक्करों में 8 बज जाते हैं और फिर रात की ड्युटी की तैयारी।

अकेला जीवन बहुत मुश्किल से व्यतीत होता है— चाहे कोई शिफ्ट हो।

सुबह 7 बजे की शिफ्ट के लिये 5 बजे उठ जाता हूँ। अकेला होता हूँ तब हफ्ते में आधे दिन रोटी नहीं बना पाता। बिना चाय या नाश्ता या लन्च लिये ड्युटी जाना पड़ता है। इसका एक कारण उमर के साथ शरीर में आलस्य आ जाना है।

ड्युटी तो करनी पड़ती है, बेशक रोटी न मिले। होटल में खाना अथवा साथी लोग ले आये तो उनके साथ। परिवार साथ होता है तब रोटी मिल जाती है। दिन में काम ज्यादा होता है। तीन बजे की बजाय 4-5-6 बजे छूटते हैं। कोई- न- कोई ऐसा काम आ जाता है कि छोड़ नहीं सकते। (जारी)

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद–121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

कानून हैं शोषण के लिये और छूट है कानून से परे शोषण की

कानून हैं– ●साप्ताहिक छुट्टी के बाद हरियाणा में हैल्पर को इस समय महीने की कम से कम तनखा 2197 रुपये 84 पैसे, अर्ध-कुशल को 2307 रुपये 84 पैसे, कुशल को 2457 रुपये 84 पैसे, उच्च कुशल मजदूर को 2757 रुपये 84 पैसे कम से कम; ●जहाँ एक हजार से कम मजदूर हैं वहाँ वेतन 7 तारीख से पहले और जिस कम्पनी में हजार से ज्यादा हैं वहाँ 10 तारीख से पहले; ●स्थाई काम के लिये स्थाई मजदूर, आठ महीने लगातार काम करने पर परमानेन्ट; ●ओवर टाइम समेत एक हफ्ते में 60 घण्टों से ज्यादा काम नहीं लेना, तीन महीनों में 75 घण्टों से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं, ओवर टाइम के लिये पेमेन्ट डबल रेट से; ●फैक्ट्री शुरू होने के पहले दिन से प्रोविडेन्ट फण्ड, मजदूर के वेतन (बेसिक व डी.ए.) से 10 प्रतिशत काटना और 10 प्रतिशत कम्पनी ने देना, हर महीने 15 तारीख से पहले यह 20 प्रतिशत राशि मजदूर के भविष्य निधि खाते में जमा करना; ●फैक्ट्री में एक घण्टे की ड्युटी पर भी ई.एस.आई.; ●कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों को भी 20 दिन पर एक दिन की अर्न्ड छुट्टी तथा त्यौहारी छुट्टियाँ;

ग्रुप फोर गार्ड: "सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन कम्पनी हम अर्ध-कुशल/कुशल मजदूरों को देती है। इससे भी ज्यादा गड़बड़ कम्पनी प्रोविडेन्ट फण्ड के मामले में करती है। हमारा पी.एफ. न्यूनतम वेतन पर भी नहीं है। ग्रुप फोर कम्पनी मात्र 110 रुपये प्रतिमाह हमारे वेतन में से प्रोविडेन्ट फण्ड के नाम से काटती है!"

सोनिया टैक्सटाइल्स मजदूर: "ठेकेदारों के जरिये कम्पनी ने 200 वरकर रखे हैं और इनमें से 100 को 1200-1400-1600 रुपये महीना तनखा ही दी जाती है तथा ई.एस.आई. व पी.एफ. के प्रावधान लागू नहीं किये हैं। कल, 10 अप्रैल को ई.एस.आई. अधिकारियों ने फैक्ट्री पर छापा मारा तब मैनेजमेन्ट बिना ई.एस.आई. वाले 100 मजदूरों को हाँक कर कैन्टीन में ले गई और ई.एस.आई. अधिकारी उन वरकरों से नहीं मिले।"

रीयूनियन इंजिनियरिंग वरकर: "प्लॉट 240 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों की तनखायें आज 9 अप्रैल तक हमें नहीं दी हैं।"

वी जी इन्टरप्राइजेज मजदूर: "31 बी इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में साप्ताहिक छुट्टी नहीं देते और महीने के तीसों दिन काम के बदले हैल्परों को 1700 रुपये तथा ऑपरेटरों को 1800 रुपये देते हैं। बरसों से काम कर रहे मजदूरों को भी ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं, प्रोविडेन्ट फण्ड लागू नहीं किया है।"

जय इलेक्ट्रोनिक्स वरकर: "अजरोन्दा में पटेल भवन स्थित फैक्ट्री में बरसों से काम कर रहे मजदूरों को न तो ई.एस.आई. कार्ड दिये हैं और न ही प्रोविडेन्ट फण्ड है। नो वर्ष से काम कर रहा एक मजदूर बीमार पड़ गया तो उसे बिना कुछ दिये, वैसे ही नौकरी से निकाल दिया।"

कल्पना फोरजिंग मजदूर: "प्लॉट 35 सैक्टर-6 में फैक्ट्री में रह रहे वरकरों को सुबह 8 से रात साढे आठ तक और अन्य वरकरों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक काम करना पड़ता है। ओवर टाइम, 4 व साढे तीन घण्टे के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। हैल्परों को 1200 रुपये महीना तनखा है और ऑपरेटरों को 1500-1700-1800-2000 रुपये।"

सुपर कास्टिंग वरकर: "प्लॉट 57 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में 10 घण्टे की ड्युटी लेते हैं और पैसे 8 घण्टे के देते हैं। स्टाफ के दो लोग तो बहुत-ही उल्टा-सीधा बोलते हैं और मनमानी करते हैं।"

हिल्टा मजदूर: "पहले इस कम्पनी का नाम निकीताशा था और मुझे कम्पनी ने कैप्टेन ठेकेदार के जरिये रखा था। 26 मार्च को मैं फैक्ट्री में काम करते समय बीमार हो गया। मुझे सैक्टर-7 में एक नर्सिंग होम में ले गये और दवाई करवाई। मैं 27 मार्च को ड्युटी पर गया तो मुझे नहीं रखा और हिसाब के तौर पर 26 दिन के 630 रुपये यह कह कर दिये कि बाकी पैसे दवाइयों पर खर्च हो गये– कम्पनी यह पैसे देगी तो तुम्हें दे देंगे। मैं 10 महीनों से फैक्ट्री में काम कर रहा था परन्तु मुझे ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिया था, प्रोविडेन्ट फण्ड भी मेरा नहीं।"

ध्रुव ग्लोबल वरकर: "14/1 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में हम 300 मजदूर काम करते हैं। हमारे वेतन में से ई.एस.आई. और प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे कम्पनी काटती है लेकिन हमें ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं। प्रोविडेन्ट फण्ड जमा किया जाता है अथवा नहीं इसका पता तो नौकरी से निकाल दिये जाने के बाद ही चलेगा क्योंकि पी.एफ. की पर्ची हमें नहीं मिलती। इधर कम्पनी ने काम कम हो गया है कह कर दक्ष कारीगरों को नौकरी छोड़ने के लिये कह दिया है।"

नीरज इन्टरप्राइजेज मजदूर "सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हम पीस रेट पर ओरियन्ट पँखों के रेग्युलेटर बनाते हैं– बड़ी मुश्किल से 2000-2200 रुपये महीना बनते हैं। ई.एस.आई. और प्रोविडेन्ट फण्ड के प्रावधान हम पर लागू नहीं हैं।"

फरीदाबाद बोल्ट टाइट वरकर: "प्लॉट 44 सैक्टर-4 स्थित फैक्ट्री में रबड़ का बहुत गन्दा काम है और रोज 12 घण्टे करना पड़ता है। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों को 1100-1200 रुपये महीना तनखा देते हैं।"

इण्डियन ओरगैनिक मजदूर: "प्लॉट 34 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में जनवरी 02 से देय डी.ए. के एरियर के पैसे अब तक नहीं दिये हैं। ऑपरेटरों को कम्पनी हैल्परों का ग्रेड देती है और नये भर्ती को 1800 रुपये महीना तनखा देती है।"

फर आटो वरकर: "मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में अप्रैल से नवम्बर 02 की तनखायें कम्पनी ने नहीं दी और कहती रही कि दे दी जायेंगी। फिर दिसम्बर और जनवरी की तनखायें देने के बाद कम्पनी ने कहना शुरू कर दिया कि अप्रैल-नवम्बर की हमारी तनखायें बनती ही नहीं। इधर इस वर्ष की फरवरी और मार्च की तनखायें आज 15 अप्रैल तक हमें नहीं दी हैं।"

आटोपिन मजदूर: "16 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर 02 की तनखायें बकाया छोड़ कर दिसम्बर की तनखा कम्पनी ने दी। यूनियन से कम्पनी ने बकाया तनखायें किश्तों में देने का समझौता कर दिया। इधर फरवरी और मार्च की तनखायें आज 22 अप्रैल तक नहीं दी हैं। कम्पनी द्वारा लेलैण्ड डिपार्ट बन्द किये को साल होने को है पर निकाले हुये मजदूरों को हिसाब नहीं दिया है और वे 25-30 वर्ष की सर्विस वाले लोग हैं। कम्पनी पर 18 महीनों के ओवर टाइम काम के पैसे बकाया...... दस महीनों के चेक बनाये और आधे मजदूरों को देने के बाद आधों के चेक यह कह कर फाड़ दिये कि खाते में पैसे नहीं हैं।"

कम्पनियों की लगाम

हर कार्यस्थल पर हजारों तार होते हैं; हजारों नट-बोल्ट होते हैं; नालियाँ-सीवर होते हैं; कई-कई ऑपरेशन होते हैं; रात-दिन को लपेटे शिफ्टें होती हैं। इसलिये मैनेजमेन्टों को रोकने-डाटने के लिये मजदूरों के हाथों में कारगर लगाम हैं: ✱ पाँच साल दौड़ने वाली मशीनें छह महीनों में टें बोल दें; ✱ कच्चा माल-तेल-बिजली उत्पादन के लिये आवश्यक मात्रा से डेढी-दुगनी इस्तेमाल हो; ✱ ऑपरेशन उल्टे-पल्टे हो कर क्वालिटी को गँगा नहा दें; ✱ बिजली कभी कड़के, कभी दमके, कभी आँख-मिचौनी करने मक्का-मदीना चली जाये; ✱ अरजेन्ट मचा रखी हो तब ऐसे ब्रेक डाउन हों कि साहबों को हृदय रोग हो जायें।

बिना किसी प्रकार की झिझक के, शान्त मन से, ठन्डे दिमाग से सोच-विचार कर कदम उठाने चाहियें।

चट्टे - बट्टे

दिल्ली हाई कोर्ट की दो जज बैन्च के सम्मुख 22 अप्रैल 03 को **टाटा स्टील** और **झालानी टूल्स** एक ही थैली के चट्टे-बट्टे साबित हुये।

बीमार कम्पनी को स्वस्थ करने की योजना में चाँदी कूटने के लिये टाटा स्टील ने 1992 में झालानी टूल्स से समझौता किया था। परन्तु बन्द होने की राह वाली कम्पनी को चलाने की आड़ में लूट रही झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट ने टाटा स्टील के भी 7 करोड़ रुपये फँसा दिये। मजदूरों की ग्रेच्युटी हड़प चुकी, 1994 से प्रोविडेन्ट फण्ड जमा नहीं कर रही, 1988 से बैंकों को ब्याज तक नहीं दे रही, मार्च 96 से नवम्बर 97 तक की मजदूरों की तनखायें दबाये बैठी झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट ने 1998 में टाटा स्टील को भी अँगूठा दिखा दिया। विभिन्न विभागों के सरकारी अफसरों, बैंक अधिकारियों, यूनियन नेताओं और इस-उस मन्त्री-राजनेता को टुकड़े डालती झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट ने इस कदर लूट मचाई कि कम्पनी की सम्पत्ति मात्र 43 करोड़ रुपये रही और देनदारी 300 करोड़ रुपये की हो गई।

महाबली टाटा स्टील ने अपने 7 करोड़ वसूलने के लिये 1998 में झालानी टूल्स की नीलामी के लिये दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया। कम्पनी बीमार, बी.आई.एफ.आर. की छत्रछाया में के आधार पर झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट ने अदालत में टाटा स्टील को पटखनी दे दी– टाटा स्टील का केस अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।

पुलिस, श्रम विभाग आदि सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों की शह और यूनियनों की तोड़फोड़ व गुण्डागर्दी तो थी ही परन्तु अधिक घातक रही बढती परेशानियों से रूबरू झालानी टूल्स मजदूरों की बड़ी सँख्या द्वारा चालाकी की राह पर चलना और अपने-अपने में सिमटते-सिकुड़ते जाना। परिणामस्वरूप 1996 से रिटायर हुये–मृत्यु हुई उनका हिसाब नहीं दिया, पचास महीनों की तनखायें बकाया हो गई! लेकिन कुछ मजदूर तालमेलों और खुद कदम उठाने की राहों पर बढे। नतीजतन बी.आई.एफ. आर. को जुलाई 2000 में झालानी टूल्स को वाइन्ड अप करने का निष्कर्ष दिल्ली हाई कोर्ट को कार्रवाई के लिये भेजना पड़ा। मैनेजमेन्ट ने यूनियनों और बैंकों के सहयोग से ए.ए.आई.एफ. आर. में अपील की परन्तु कुछ मजदूरों के विरोध के कारण मार्च 01 में अपील खारिज। एक यूनियन द्वारा बम्बई हाई कोर्ट से स्टे ली गई लेकिन इसे भी कुछ मजदूरों ने रद्द करवाया।

कुछ मजदूरों ने हस्तक्षेप कर बी.आई.एफ. आर. की छतरी हटवाई और झालानी टूल्स की नीलामी के लिये प्रक्रिया दिल्ली हाई कोर्ट में आरम्भ हुई। ऐसे में टाटा स्टील भी बरसों से स्थगित अपने मुकदमे को फिर शुरू करवा सकी।

बी.आई.एफ.आर. द्वारा प्रेषित मामला और टाटा स्टील का मामला संग-संग दिल्ली हाई कोर्ट में चलने लगे। कई लटकों-झटकों के बाद कम्पनी मामलों के जज ने 18 मार्च 03 को आफिशियल लिक्विडेटर को झालानी टूल्स का प्रोविजनल लिक्विडेटर नियुक्त कर नीलामी की कार्रवाई के आदेश दिये। बी.आई.एफ.आर. द्वारा भेजा और टाटा स्टील द्वारा दायर मामले चूँकि झालानी टूल्स की नीलामी से ही सम्बन्धित थे इसलिये इन्हें एक ही कह कर जज ने टाटा स्टील वाले मामले में निर्णय सुनाया और सब लेनदारों को लिक्विडेटर के समक्ष अपनी-अपनी दावेदारी डालने को कहा। बाद में झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट ने दरखास्त दे कर अपील के लिये 7 अप्रैल तक का समय ले लिया।

टाटा स्टील और झालानी टूल्स के बीच गुपचुप खिचड़ी पकी। मुकदमे के दौरान टाटा स्टील का दावा 7 करोड़ से 9 करोड़ का हो गया था और झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट इस से इनकार कर उल्टे टाटा स्टील पर 50 लाख रुपये का दावा कर रही थी। परन्तु फैसले के बाद अन्य लेनदारों के पैसे डुबोने और माल आपस में बाँट खाने का समझौता टाटा स्टील तथा झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट के बीच हुआ। चुपचाप 4 अप्रैल को दो जज बैन्च के सम्मुख वाइन्ड-अप के निर्णय को रद्द करने की अपील यह कह कर की गई कि झालानी टूल्स द्वारा तीन महीने और तीस दिन के अन्दर टाटा स्टील का सब पैसा चुका दिया जायेगा। अपने मुवक्किल के निर्देशों के लिये टाटा स्टील के वकील ने समय माँगा और 22 अप्रैल की तारीख पड़ी। टाटा स्टील के 7 या 9 करोड़ की तुलना में 6 फैक्ट्रियों में बचे 4000 मजदूरों के 4 लाख रुपये प्रति मजदूर की औसत से ही 160 करोड़ रुपये बनते हैं, बैंकों के 53 करोड़, प्रोविडेन्ट फण्ड के 19 करोड़ रुपये, ई.एस.आई. के 8 करोड़ आदि-आदि की लेनदारी झालानी टूल्स कम्पनी पर है लेकिन इन सब लेनदारों को अन्धेरे में रखा गया।

22 अप्रैल को टाटा स्टील और झालानी टूल्स ने आपसी सहमति की बात दो जज बैन्च के सम्मुख रखी और अदालत से मुहर लगाने का अनुरोध किया। चलाने के नाम पर बेच खाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन आपस में तालमेल कर खुद कदम उठा रहे मजदूरों की वकील को इस धोखाधड़ी की भनक लग गई थी। मजदूरों की तरफ से हस्तक्षेप हुआ और टाटा स्टील-झालानी टूल्स के पक्ष में आदेश देने को तैयार बैठे जजों को खुद को रोकना पड़ा। मजदूरों और अन्य लेनदारों के तथ्यों तथा बी.आई.एफ.आर. के हवाले के संग-संग वर्तमान के कानूनों के दृष्टिगत जजों ने टाटा स्टील-झालानी टूल्स को कम्पनी मामलों की बैन्च के पास ही जाने को कहा। इस बीच लिक्विडेटर द्वारा कम्पनी की सम्पत्ति पर कब्जा कर लिये जाने के रोने ☞ पर 19 मई तक यथास्थिति के आदेश दिये गये। बौखलाहट में झालानी टूल्स के जुड़वाँ टाटा स्टील द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें......

और बातें यह भी

एस.पी.एल. मजदूरः "प्लॉट 21 सैक्टर-6 फैक्ट्री में गैप, मैसी, कोहल्स और चुन्नु का माल बनता है। यह पार्टियाँ एस.पी.एल. मैनेजमेन्ट से कहती हैं कि मजदूरों से प्रतिदिन 10 घण्टे की ड्युटी लो क्योंकि 12 घण्टे में मजदूर बोर हो जाता है जिससे क्वालिटी बेकार हो जाती है। ऐसे में मैनेजमेन्ट सुबह 8 से रात 8 बजे तक ड्युटी वालों को कार्ड पर 7 बजे आउट दिखा देती है और आधे घण्टे के लन्च को एक घण्टे का लन्च बताती है। कम्पनी 12 घण्टे की ड्युटी को कलम की सफाई से 10 घण्टे की ड्युटी बना देती है। और, प्लान्ट में एक इन्चार्ज तथा एक सुपरवाइजर तो इस कदर दादागिरी करते हैं कि ओवर टाइम पर रुकने से इनकार करने पर मजदूर पर हाथ तक उठा देते हैं।"

प्रिसिजन स्टैम्पिंग वरकरः "प्लॉट 106 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 100 मजदूर परमानेन्ट हैं और हम 140 को कम्पनी ने दो ठेकेदारों के जरिये रखा है। हमें जबरन ओवर टाइम पर रोका जाता है, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं और हेराफेरी कर घण्टे भी कम लिखते हैं। हम में प्रेस ऑपरेटरों को 65,68,70 रुपये 8 घण्टे काम के देते हैं। साप्ताहिक छुट्टी की दिहाड़ी हमें नहीं देते। हमें ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं – छोटी चोट के लिये फैक्ट्री में ही दवाई दे देते हैं और ज्यादा चोट लगने पर नौकरी से निकाल देते हैं।"

ब्रॉन लैबोरेट्री मजदूरः "13 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थिति फैक्ट्री में मार्च का वेतन 17 अप्रैल को जा कर देना शुरू किया और 30 अप्रैल को जा कर सब मजदूरों को मिला।"

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये:

★ अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते। ★ बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढवाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये। ★ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये-पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,
एन.आई.टी. फरीदाबाद –121001

चमक-दमक के पीछे

ईसा इन्टरप्राइजेज मजदूर: " प्लॉट नं. 2, नोरदर्न इण्डिया कॉम्पलैक्स, 20/3 मथुरा रोड़ में कम्पनी स्वयं भर्ती नही करती बल्कि दो ठेकेदारों के जरिये मजदूर रखती है। भर्ती करते समय 1800 रुपये महीना तनखा बताते हैं पर दो महीने बाद पहली तनखा देते हैं और तब 1200 रुपये दे कर कहते हैं कि यही तनखा देंगे। कई मजदूर फैक्ट्री में ही रहते हैं।

"काम के दौरान चोटें बहुत लगती हैं। 26.10.02 को रोलिंग मशीन से 14-15 वर्ष के कमल हसन की चार उँगलियाँ कट गई थीं। हाथ कटने के 10-15 दिन बाद तक वह फैक्ट्री में ही रहा। उसे खाना भी ठीक से नहीं दिया और मात्र 50 रुपये इलाज के लिये दिये। मजदूरों ने चन्दा करके कमल को उसके नाना-नानी के पास मधुबनी जिले में पहुँचाया। छोटे साहब ने कमल से सादे कागज पर अँगूठा लगवाया, घर का पूरा पता लिखा और धमकी दी थी कि कोई कानूनी कार्रवाई करोगे तो दण्ड दूँगा। पता चला है कि 5 महीने बाद भी कमल का घाव भरा नहीं है। इससे पहले अगस्त 02 में शम्भू की तीन उँगलियाँ कटी थी। शम्भू पैसे घर पर नहीं भेजता था इसलिये उसके पास दो-ढाई हजार बचे थे और उन्हीं पैसों से इलाज करवाने के बाद गाँव चला गया। अभी 3-4 मार्च को संजय के पैर के आर-पार कील चली गई। टिटनेस की सूई के लिये संजय को 50 रुपये दिये, बस। ई.एस.आई. नहीं है और फैक्ट्री में डेटोल की शीशी व पट्टी रखी रहती हैं।

"काम बहुत भारी भी है और निकाल देने-नौकरी छोड़ने पर पैसे नहीं देते। 26.4.03 को सुबह 3 औरतें भर्ती हुई। सिर पर टोकरी से माल ढुआने लगे। एक स्त्री गर्भवती थी और 8 बजे से 11 बजे तक बोझ ढोते-ढोते उसका सिर फटने लगा तो वह काम छोड़ कर चली गई— उसे कोई पैसे नहीं दिये। दो बजे तक काम करने के बाद उसके साथ लगी दो औरतें भी चली गई— उन्हें भी कोई पैसे नहीं दिये। राजू बल्लभगढ से रोज पैसे माँगने आता है — 16 वर्षीय राजू से 3 महीने काम करवाया, पैसे नहीं दिये हैं। एक औरत दो महीने की तनखा के लिये चक्कर लगाती है। पिछले साल की 2-3 महीनों की तनखा के लिये एक आदमी पाली गाँव से आता रहता है।

" फैक्ट्री में पीने के पानी की समस्या है। बगल की वी.एक्स.एल. फैक्ट्री से पानी लाना पड़ता है। गर्मियों में ठण्डे पानी के लिये मजदूरों ने चन्दा करके एक पुराने फ्रिज का जुगाड़ किया परन्तु यह कह कर कि बिल ज्यादा आयेगा, बिजली नहीं दी ! और, ज्यादा काम के लिये मजदूरों के बीच होड़ की जुगत भिड़ाते रहते हैं।

"हम अपनी समस्यायें बड़े साहब जगदीश भाटिया से कहते हैं तो वह कहता है कि देखभाल कर रहे उसके साले गुलशन भाटिया से कहें। और छोटा साहब कहता है कि ठेकेदार जानें !"

यामाहा मोटर वरकर: " दसवीं पास को हैल्पर तथा आई.टी.आई. पास को ऑपरेटर के कार्य पर कैजुअल वरकरों के तौर पर कम्पनी रखती है। परमानेन्ट मजदूरों को जो पैसे दिये जाते हैं उनके पाँचवे-छठे हिस्से में यामाहा कम्पनी हम से वही काम करवाती है। इधर कम्पनी उत्पादन बढाने पर जोर देने लगी। आगे ही बोझ से लदे कैजुअल वरकरों की आनाकानी और कम्पनी से खींचातान में यूनियन लीडर ने हस्तक्षेप कर 25 प्रतिशत उत्पादन बढाने के बदले में 10 रुपये प्रतिदिन बढाने का समझौता किया। हैल्परों, फिटरों, पेन्टरों पर यह समझौता थोप दिया गया परन्तु वैल्डर इनके काबू में नहीं आये। तब कम्पनी ने वैल्डरों के 10 की बजाय 15, फिर 20 और फिर फैसले-समझौते के तौर पर 26 रुपये बढा 146 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी कर 25 प्रतिशत काम का बोझ बढाया। 26 रुपये प्रतिदिन की बढोतरी अप्रैल के शुरू से ही लागू हुई हालाँकि बढा हुआ उत्पादन कम्पनी अप्रैल के तीसरे हफ्ते के अन्त में ही लागू कर पाई। लेकिन आज, 5 मई को कम्पनी ने दो कैजुअल वरकर वैल्डर के तौर पर भर्ती किये और उनका वेतन 146 रुपये की बजाय 138 रुपये प्रतिदिन लगाया। इस बात का पता शीट मैटल विभाग के वैल्डर कैजुअल वरकरों को शाम 4 बजे लगा और यह मजदूर इक्ट्ठे हो कर प्रोडक्शन मैनेजर के पास गये तो वह बोला कि परसनल मैनेजर से बात करेगा। ए-शिफ्ट में तब तक उत्पादन का कार्य पूरा हो चुका था। ए-शिफ्ट के कैजुअल वैल्डरों और ड्युटी के लिये पहुँचे बी-शिफ्ट के कैजुअल वैल्डरों के बीच बातचीतें हुई और सब लोग फैक्ट्री के अन्दर पार्क में जा कर बैठ गये। साढे चार बजे शुरू हुई बी-शिफ्ट में राजदूत, क्रक्स, आर एक्स की शीट मैटल की वैल्डिंग लाइनों पर उत्पादन कार्य बन्द हो गया। सुपरवाइजर बुलाने आये और बोले कि 2 दिन बाद अप्रैल की तनखा मिलेगी तब पक्का पता चलेगा, तब तक काम करो। लेकिन तीनों लाइनों के वैल्डर कैजुअल वरकर पार्क में बैठे रहे। सवा पाँच बजे तक काम शुरू नहीं हुआ था, मैनेजर लोग मीटिंग करने लगे थे,कोई यूनियन नेता पार्क में बैठे मजदूरों के पास नहीं पहुँचा था।"

गुडईयर टायर वरकर: "ठेकेदारों के जरिये रखे गये हम मजदूरों को महीने के 1600 रुपये देते हैं और कहते हैं कि बाकी ई.एस.आई. तथा प्रोविडेन्ट फण्ड के कट जाते हैं। हमें ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते— फैक्ट्री में एक्सीडेन्ट में चोट लगने पर ही कार्ड बनाते हैं। पाँच साल से पी.एफ. की पर्ची हमें नहीं मिली है। और, ई.एस.आई. तथा पी.एफ. के पैसे हमारे वेतन में काटने के बाद भी हमें महीने में 1900 के करीब तो देने ही चाहियें। हमारी तनखा में से 300 रुपये का गोलमाल किया जा रहा है।"

मेरठ से—

पुलिस के सिपाही: मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही हूँ। जनता हम पुलिसवालों को सबसे ज्यादा गालियाँ देती है। लेकिन हम लोग आम मजदूरों से भी अधिक अशक्त, मजबूर, गुलाम हैं। हमें वेतन बहुत-ही कम मिलता है और ड्युटी की कोई सीमा नहीं। किसी भी समय, किसी भी हाल में हमें ड्युटी के लिये घसीट लिया जाता है। न कोई साप्ताहिक-मासिक छुट्टी, न कोई पर्व-त्यौहार। थानेदार भी कोई अच्छी दशा में नहीं हैं। राजनीति पूरी तरह हावी है। जान जोखिम में डाल कर किसी संगीन अपराधी सरगना को पकड़ भी लेते हैं तो वह किसी पार्टी का आदमी निकलता है और उसे छोड़ने के लिये ऊपर से आदेश आ जाते हैं। आम कैदियों के साथ बदसलूकी हम से करवाई जाती है। निर्धारित अनुपात में रिश्वत की राशि ऊपर पहुँचाई जाती है।

प्रेस: उन दिनों मैं एक पत्रिका " देश की उपासना" (जौनपुर) का प्रबंध सम्पादक था। सम्पादक यानि स्वत्वाधिकारी जी को पत्रकारिता का क,ख भी पता नहीं था। समाचार संवाददाता लोग तैयार करते थे। सम्पादकीय तथा खास समाचारों को लिखने की जिम्मेदारी अमूमन मुझे ही निभानी पड़ती थी। पोलियो ड्राप के खिलाफ; सरकार के इस प्रयास को खतरनाक षडयंत्र बताता एक समाचार लिखना था। 'आधार' का काम कुछ अखबारी कतरनें कर रही थी जिनमें इस आशय का समाचार छप चुका था। मुझे कहा गया कि शाब्दिक परिवर्तन से मजबूत रिपोर्ट तैयार करूँ, अपनी पत्रिका में नहीं बल्कि अनयत्र छपवाई जायेगी— जनता का दबाव पड़ेगा, सरकार को मामले की जाँच करनी पड़ेगी, सच सामने आयेगा, हमें भी किसी जोखिम का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी गैरजानकरी में उसी पत्रिका में वह रिपोर्ट छपवा दी गई जिसमें मैं सेवारत था। अक्टूबर 2000 के अंक में यह रिपोर्ट छपी। पोलियो ड्राप पिलाने गई टीम के विरोध में समीपवर्ती जनपद आजमगढ में जनता उमड़ पड़ी। मामला प्रशासन से डब्लू.एच.ओ. और अब सी.बी.सी.आई.डी. तक पहुँचा। इस समाचार के मूल सूत्रधार जाने माने कानूनविद व अधिवक्ता योगेश कुमार हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लाडले हैं। मैं तो अब उस पत्रिका में सेवारत रहा नहीं परन्तु सारा दोष पत्रिका के स्वत्वाधिकरी ने मुझ पे मढ दिया है। पिछले दिनों मेरे यहाँ लखनऊ से सी.बी.आई. वाले आये थे और बयान कलमबंद करके गये हैं। मामले में सरकार जीते या प्रेस लेकिन ऊँचे लोगों द्वारा मुझे नाहक ही तंग किया जा रहा है.....

—नीलम

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट **RN 42233** पोस्टल रजिस्ट्रेशन **L/HR/FBD/73**